जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

184/15

13

अपील सूचना अधि. सं0 184/2015 अनवानी श्री मुखत्यार सिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह जाति मजहबीसिख निवासी 9 एलएपीएम तहसील रायसिंहनगर श्री श्रीगंगानगर जरिये विजय सिंह राणा पुत्र बनाम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

31–03–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुखत्यारसिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी श्री मुखत्यार सिंह जरिये श्री विजयसिंह राणा द्वारा प्रा0 पत्र दिनांक 17.12.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष आवेदन किया थ जिस पर उनके द्वारा प्रार्थी को अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से सूचना प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया। तत्पश्चात उसके द्वारा दिनांक 11.09.2015 को अति. जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उसे आज तक कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई जबाब दिया गया है। अतः उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे। प्रार्थी के प्रा0 पत्र को अपील के रूप में दर्ज रजिस्टर कर प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा का प्रतिवेदन एवं रिकार्ड तलब किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या एफ12(1)( ) राजस्व/सू.अ./2015/9228 दिनांक 29.12.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी मुखत्यार सिंह भू0पू0 सैनिक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उनके कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 7760 दिनांक 22.09.2015 से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा वांछित रिकार्ड वर्ष 1983 का है जो लगभग 32 वर्ष पुराना है जो कार्यालय में उपलब्ध नही हो रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अनुसार अत्यधिक पुराना अथवा 20 वर्ष से अधिक पुराना रिकार्ड है तो सूचना उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य नही है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 7760 दिनांक 22.09.2015 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा वांछित रिकार्ड वर्ष 1983 का है और लगभग 32 वर्ष पुराना है जो कार्यालय में उपलब्ध नही हो रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अनुसार अत्यधिक पुराना अथवा 20 वर्ष से अधिक पुराना रिकार्ड है तो सूचना उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य नही है सूचनार्थ प्रेषित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा जिस अभिलेख की सूचना चाही जा रही है वह अभिलेख काफी पुराना है और लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध नही हो रहा है। ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

कलेक्टर
गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

184/15

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। फिर भी न्याय हित में लोक सूचना अधिकारी को हिदायत की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील के बिन्दु सं0 7 में यह अंकित किया है कि आवेदक के आवेदन पत्र को कम संख्या 1066 पर दर्ज किया गया था को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित अभिलेख को एक बार पुनः तलाश करवाया जावे और इस संबंध में अपीलार्थी से भी किसी प्रकार की जानकारी ली जानी आवश्यक हो तो ली जावे और अपीलार्थी भी जिसे उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगा। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर